

## NMCM और राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक

### प्रलिस के लयः

[राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचलरलण मशलन](#), [राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक](#), [इंदरल गान्धी राष्ट्रीय कला केंद्र](#), [मेरा गाँव मेरी धरोहर](#), [अनुच्छेद 49](#), [भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण](#), [राष्ट्रीय स्मारक प्राधकलरण](#)

### मेन्स के लयः

सांस्कृतिक संरक्षण और सशक्तीकरण हेतु सरकारी पहल, सांस्कृतिक मानचलरलण पर राष्ट्रीय मशलन, ग्रामीण आर्थक वकलस के लयल एक उपकरण के रूप में सांस्कृतिक मानचलरलण

स्रोत: पी.आई.बी.

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक वरलसत को संरक्षण करने और बढ़ावा देने के लयल संस्कृति मंत्रालय ने [राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचलरलण मशलन \(NMCM\)](#) की स्थापना की है ।

- इस मशलन का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक वरलसत का दस्तावेज़ीकरण करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवतल करना तथा भावी पीढ़लियों के लयल ऐतलहासकल स्थलों का संरक्षण सुनशलचितल करना है ।

## राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचलरलण मशलन (NMCM) क्या है?

- परचलः** संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च कलया गया, इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में सांस्कृतिक जीवतता को बढ़ाने के लयल सांस्कृतिक संपत्तलधियों, कलाकारों और कला रूपों का एक व्यापक डेटाबेस बनाकर भारत की सांस्कृतिक वरलसत का दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और संवर्द्धन करना है ।
- मुख्य उद्देश्यः** प्रत्येक गाँव की वशलषलट सांस्कृतिक वशलषताओं को परलभाषतल करना और उनका दस्तावेज़ीकरण करना ।
  - "हमारी संस्कृति हमारी पहचान" (हमारी संस्कृति, हमारी पहचान) जैसे सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करना ।
  - ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और आर्थक वकलस को बढ़ावा देने के लयल सांस्कृतिक मानचलरलण का उपयोग करना ।
  - समस्त कला रूपों में सूचना साझा करने, भागीदारी, प्रदर्शन और पुरस्कार के लयल [एकराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल \(NCWP\) पोर्टल स्थापतल करना](#) ।
  - वचलरों के आदान-प्रदान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लयल [कला ग्राम](#), [शल्ललप मेला](#) और अन्य सांस्कृतिक केंद्रों के लयल स्थानों की पहचान करना ।
- कार्यान्वयनः** NMCM का प्रशासन संस्कृति मंत्रालय द्वारा कलया जाता है, [इंदरल गान्धी राष्ट्रीय कला केंद्र \(IGNCA\)](#) के मार्गदर्शन में [इसका करयान्वयन कलया जाता है](#) ।
  - [सामान्य सेवा केंद्र \(CSC\)](#) ई-गवर्नेंस सर्वसलज इंडया लमलटलड (CSC), इलेक्ट्रॉनकलस और IT मंत्रालय (MEITY) के तहत एक वशलष प्रयोजन वाहन (SPV), को संस्कृति मंत्रालय द्वारा NMCM को कार्यान्वतल करने का कार्य सौंपा गया है ।
- मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD):** वर्ष 2023 में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में NMCM ने [मेरा गाँव मेरी धरोहर \(MGMD\) पोर्टल](#) लॉन्च कलया, जो भारत के 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक वरलसत का दस्तावेज़ीकरण करता है ।
- MGMD के अंतरगत सात व्यापक श्रेणलधियों में जानकारी एकत्र की जाती है ।
  - कला और शल्ललप गाँव,
  - पारस्थलतलकल उन्मुख गाँव,
  - भारत की पाठ्य और शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ा शैकषकल गाँव,
  - रामायण, महाभारत और/या पौराणकल कथाओं से जुड़ा महाकाव्य गाँव,
  - स्थानीय और राष्ट्रीय इतलहास से जुड़ा ऐतलहासकल गाँव,
  - वास्तुकला वरलसत गाँव,

- कोई अनन्य विशेषताएँ जनि पर प्रकाश डालने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे मत्स्याग्रह वाले गाँव, बागवानी वाले गाँव, चरवाहा गाँव, आदि।
- वर्तमान में **4.5 लाख गाँव इस पोर्टल पर मौजूद हैं**, जिनमें मौखिक परम्पराएँ, कला रूप, भोजन, त्योहार और स्थानीय स्थल जैसे तत्व प्रदर्शित किये गए हैं।
- यह पहल सांस्कृतिक पहचान को मज़बूत करती है, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है, तथा सांस्कृतिक परसिंपत्तियों के दस्तावेज़ीकरण और संवर्द्धन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

## CSC ई-गवर्नेंस सर्वसिज इंडिया लिमिटेड

- CSC ई-गवर्नेंस सर्वसिज इंडिया लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित SPV, CSC योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, तथा नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिये एक ढाँचा प्रदान करता है।
  - CSC का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सक्षम नेटवर्क का निर्माण करना है, जो स्थानीय आबादी को आवश्यक सेवाओं से जोड़ेगा तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज को बढ़ावा देगा।

## सांस्कृतिक मानचित्रण

- सांस्कृतिक मानचित्रण किसी क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं को दर्ज करता है, जसमें स्थानीय कहानियाँ, अनुष्ठान, कला, भाषाएँ, वरिष्ठ और व्यंजन शामिल होते हैं, जो स्थानीय संस्कृतिको परभाषित करते हैं।
  - यह सांस्कृतिक संसाधन मानचित्रण बनाने के लिये मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की परसिंपत्तियों का दस्तावेज़ीकरण करता है।

## राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक क्या हैं?

- **राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक:** स्मारक भारत के समृद्ध अतीत के अवशेष हैं, जो संस्कृति, कला और वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं।
  - इनमें विभिन्न प्रकार के स्थल शामिल हैं, जैसे प्रागैतिहासिक स्थल, शैलाश्रय, मंदिर, चर्च, मस्जिद, मकबरे, कल्ले आदि, जो देश भर में हमारी विविध सांस्कृतिक वरिष्ठता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958 (वर्ष 2010 में संशोधित), राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान करता है।
    - इस स्थिति पर विचार करने के लिये किसी स्मारक या स्थल को कम से कम 100 वर्ष पुराना होना चाहिये।
- **घोषणा की प्रक्रिया:** केंद्र सरकार किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के अपने आशय को अधिसूचित करती है, तथा दो महीने के भीतर सार्वजनिक आपत्तियाँ आमंत्रित करती है। आपत्तियों पर विचार करने के बाद, वह राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक रूप से स्थल की घोषणा कर सकती है।
- **भारत में MNI:** वर्तमान में, देश में 3697 प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किये गए हैं।
- **MNI की सुरक्षा के प्रयास:**
  - राज्य नीति के नदिशक सिद्धांत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में यह प्रावधान है कि राज्य को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को वनाश, विरूपण, हटाने या नरियात से बचाना चाहिये।
  - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI): संस्कृति मंत्रालय के अधीन ASI, बहुराष्ट्रीय पुरातत्व स्थलों के संरक्षण और रखरखाव के लिये ज़िम्मेदार है।
    - स्मारक के चारों ओर 100 मीटर का दायरा 'नषिद्ध क्षेत्र' है, जहाँ निर्माण प्रतिबंधित है, जबकि अगले 200 मीटर का दायरा 'वनियमिती क्षेत्र' है, जहाँ निर्माण प्रतिबंधित है।
    - ASI उन स्मारकों को सूची से हटा सकता है (AMASR अधिनियम, 1958 की धारा 35 के तहत), यदि वे अब राष्ट्रीय महत्त्व के नहीं रह गए हैं, जिसका अर्थ है कि अब उनका संरक्षण या रखरखाव नहीं किया जाएगा।
      - एक बार सूची से हटा दिए जाने के बाद, साइट के आसपास निर्माण और शहरीकरण गतिविधियाँ शुरू की जा सकेंगी।
  - **राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA):** AMASR अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित NMA, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये उनके आसपास के नषिद्ध और वनियमिती क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देता है।

## कला और संस्कृति से संबंधित भारत की अन्य पहल:

- [कला संस्कृति विकास योजना](#)
- [अमूर्त सांस्कृतिक वरिष्ठता की सुरक्षा के लिये योजना](#)
- [एक भारत श्रेष्ठ भारत](#)
- [देखो अपना देश पहल](#)
- [सर्वदेश दर्शन योजना](#)
- [तीर्थयात्रा कार्याकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान \(परसाद\)](#)
- [वरिष्ठता अपनाते का कार्यक्रम](#)

■ प्रोजेक्ट मौसम

?????? ???? ?????:

प्रश्न: भारत की सांस्कृतिक वरिासत और ग्रामीण सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मशिन की भूमिका का परीक्षण कीजिये ।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न**

??????

प्रश्न 1. भारतीय कला वरिासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है । चर्चा कीजिये । (2018)

प्रश्न 2. भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों एवं उनकी कला की कल्पना को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है । चर्चा कीजिये । (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nmcm-and-monuments-of-national-importance>

